राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 03/08/2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मासिक बैठक दिनांक 03.08.2015 को अधिशाषी अभियंता/परियोजना अधिकारी जिला परिषदों के साथ ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

इन्दिरा आवास योजना

- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवायें आवासों की निगरानी एवं पूर्ण कराने में सहायता हेतु अनिवार्य रूप से ली जावें।
- वर्ष 2015–16 से आवास योजना के लाभार्थियों की किश्त हस्तान्तरण **PFMS** से **CBS** बैंकों के माध्यम से ही होनी है, इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा के प्रथम व द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता को ही आवास योजना हेतु अधिकृत किया गया है। उन्हें ही आवाससॉफ्ट पर पंचायत समिति की स्वहपद से पंजीकृत कराकर । **Ativation** की कार्यवाही आगामी 3 दिवस में सुनिश्चित की जावें एवं 15 अगस्त, 2015 तक लक्ष्यों के अनुसार स्वीकृतियां जारी की जावें। इस क्रम में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रजेंटेशन की प्रति उपलब्ध कराते हुये विस्तृत जानकारी दी गई।
- अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना की सभी समस्याओं का निस्तारण करते हुये वर्गवार वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जावें।
- वर्ष 2011–12 से पूर्व के सभी आवास पूर्ण करा लिये गये है, का प्रमाण–पत्र सभी जिला परिषदों द्वारा जारी किया जावें। आवास अपूर्ण होने की स्थिति में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
- वर्ष 2011–12 के जो कार्य अपूर्ण है उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जावें। इस हेतु स्थानीय सामग्री के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये है, के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
- जिन जिलों इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में 5000 से अधिक परिवार शेष है उनकी सूची पंचायत समितिवार स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं प्रकाशित विज्ञापन की प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

श्री योजना

- 10000 से अधिक आबादी वाले 81 गांव, 5000 से अधिक आबादी वाले 871 गांव एवं 9900 ग्राम पंचायत मुख्यालय की कार्य योजना जिन जिलों द्वारा अभी तक नहीं भिजवाई गई है दिनांक 10 अगस्त तक भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- 2. राज्य स्तर से जो प्रपत्र आदि जारी किये जाते है उसी अनुसार सूचनाऐं इकजाई कर भिजवाये जाने के निर्देश दिये।

- 3. डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी, माडा, सम्बल, आदि योजनओं में शामिल गांव के नाम जिन जिलों द्वारा नहीं भिजवाये है वे 10 अगस्त 2015 तक आवश्यक रुप से भिजवाने के निर्देश प्रदान किये।
- 4. ग्राम पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ग्राम पंचायत के सभी गांव में श्री योजना गतिविधि संचालित करने हेतु उपयोग में लाई जावे।
- 5. जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न विभागों की राशि का उपयोग 5000 से अधिक आबादी वाले 971 गांव तथा पंचायत मुख्यालयों को प्रथम चरण में विकसित करने हेतु ही व्यय किया जावे।
- 6. योजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रगति विवरण प्रपत्र 3 में प्रत्येक माह की 7 तारीख को आवश्यक रुप से भिजवाया जावे।
- 7. गांव में श्री योजना गतिविधि की उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध किया जावे।
- 8. 5000 से अधिक आबादी वाले गांव एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों के गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स का चिन्हीकरण किया जावे।
- 9. विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत/ उपलब्ध कम्प्यूटर कार्मिक व कम्प्यूटरर्स की सूचना विभागीय पत्र दिनांक 11 फरवरी 2015 के अनुसार जिन जिलों द्वारा नहीं भिजवाई है। शीघ्र भिजवावें।
- 10. श्री योजना प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर बनाया गया प्रजेन्टेशन विभागीय वेवसाईट पर उपलब्ध रहेगा।
- 11. विभिन्न योजनाओं में कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। अधिशाषी अभियन्ता प्रभारी अधिकारी के रुप में यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचातयों द्वारा सामग्री क्रय की निविदा निर्धारित कर ली गई है क्या ? यदि सामग्री की निविदाये निर्धारित नहीं है तो जिला स्तर से कार्य निष्पादन हेतु टेण्डर प्रक्रिया की कार्यवाही की जावे। जिससे समय पर कार्य सम्पादित हो सकें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रभारी अभियन्ता ही होगा तथा जिला स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता (अभि0) प्रभारी रहेंगें।

एमपीलैड/एमएलए लैड

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015--16 में माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त कुल 1181 कार्यों की अनुशंषा के विरूद्ध 359 कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जो कि 30.40 प्रतिशत (राज्य औसत) है।
- जिला – अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं राजसमन्द जिलों द्वारा प्राप्त अनुशंषाओं के विरूद्ध एक भी कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में माननीय विधानसभा सदस्यों से प्राप्त कुल 4630 अनुशंषाओं के विरूद्ध 1601 कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जो कि 34.58 प्रतिशत (राज्य औसत) है, निम्न जिलों का प्राप्त अनुशंषाओं के विरूद्ध जारी वित्तीय स्वीकृतियों का प्रतिशत राज्य औसत से कम है, जैसलमेर, बारां, जोधपुर, डूंगरपुर, झालावाड, राजसमन्द, चुरू, जयपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़, भरतपुर एवं झुन्झूनु। शासन सचिव महोदय द्वारा निर्धारित समय पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(15वीं लोकसभा) के अपूर्ण/अप्रारम्भ कार्यों एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(13वीं लोकसभा) के अपूर्ण/अप्रारम्भ कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के V.D.P. में अंकित कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर, कार्य पूर्ण करवाते हुये, पूर्ण कार्यों के फोटों ग्राफ्स, SAGY के Website पर अपलोड़ कराया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में निम्नाकिंत जिलों के विधायकों द्वारा उनके सम्मुख अंकित संख्या के अनुसार आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन होना शेष है। (जिला – अजमेर–1, अलवर–3, बारां–2, भरतपुर–1, भीलवाडा–6, बीकानेर–4, चूरू–1, जयपुर–8, जलौर–5, झुन्झुनु–3, जोधपुर–1, करौली–2, कोटा–1, नागौर–3, पाली–5, सीकर–1, सिरोही–3, उदयपुर–5) कुल–55
- स्व–विवेक जिला विकास योजना में उपलब्ध राशि के बराबर स्वीकृतियां 30 सितम्बर 2015 तक जारी कर देवें। अन्यथा जिले की अवशेष राशि को अन्य जिलों में उनकी मांग के अनुरूप हस्तानांतरित कर दिया जावेगा।

लेखा

- उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र के समायोजन एवं राशि हस्तातंरित के लिए परियोजना अधिकारी(लेखा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेयता रहेगी। माह के अन्तिम दिवस में दोनों संयुक्त बैठक करके लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे।
- वित्तीय स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों के लिए लेखा शाखा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाबदेय होंगे।

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना

- 1.4.2015 को अवशेंष राशि एवं इस वित्तीय वर्ष के लिए आंवटित राशि के 125 प्रतिशत तक स्वीकृतियां जारी की जानी है।
- योजनान्तर्गत जिला परिषद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों (जन सहयोग जमा होने पर) को रजिस्टर में दर्ज कर **FIFO Method(First come First out)** की प्राथमिकता अनुसार स्वीकृतियां जारी की जानी है।

IWMS

- नवसृजित/पुर्नगठित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित सूचना **IWMS Software** की डेमों बेवसाईट पर दिनांक 15 अगस्त 2015 तक अपलोड करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं योजना प्रभारी का संयुक्त रूप से होगा।
- सभी स्कीमों में 1.4.2014 से पूर्व के अप्रारम्भ एवं अपूर्ण कार्य का इन्द्राज **IWMS Software** पर दिनांक 15 अगस्त 2015 तक अपलोड करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं योजना प्रभारी का संयुक्त रूप से होगा। सभी कार्यों को अपलोड कर आगामी बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- **IWMS Software** में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कर्न्वेजेन्स के तहत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के लिए कर्न्वेजेन्स का अलग से कॉलम इन्सर्ट करने की कार्रवाही मुख्यालय स्तर से की जानी है।
- **IWMS Software** में फण्ड प्राप्ति का अलग से कॉलम इन्सर्ट करने की कार्रवाही मुख्यालय स्तर से की जानी है ताकि प्राप्त जनसहयोग /ब्याज की इन्द्राज किया जा सके।

- अधिशाषी अभियंता/परियोजना अधिकारी जिला परिषदों की आगामी बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2015 को मुख्यालय पर आयोंजित की जावेगी।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि.।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस)ग्रा.वि।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
10. परियोजना अधिकारी, जिला परिषद समस्त
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)